बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी के सरकारी बहुमंजिले भवनों की संरचना पर जहाँ किसी सरकारी और शहर के बड़े व्यावसायिक भवनों के उपरि मंजिल पर चढ़ने के लिए रैप नहीं है। शहर में ऐसे बड़े भवन है जिन पर कई व्यावसायिक काम किया जाता है। कहीं बैंक है तो कहीं सरकारी व अन्य कंपनियों के दफ्तर हर दिन भवनों पर सैकड़ो लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इसमें दिव्यांग से लेकर बुजुर्ग तक आते हैं मगर हर दिन इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन भवनों में रैप नहीं है। विकास भवन, कलेक्ट्रेड सचिवालय, जयप्रकाश नारायण भवन, पंत भवन, विस्कोमान भवन में राजधानी के सबसे ऊँचे 18 मंजिला भवन में एक दर्जन के लगभग सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय है। इस पूरी बिल्डिंग में भी कहीं रैप नहीं बनाया गया है। साथ ही ज्ञान भवन, बापू सभागार जैसे सरकारी भवन बनाया गया है। लिफ्ट केवल लगाया गया है जबकि दिव्यांग व बुजुर्ग के लिए कई मामले में लिफ्ट के बदले रैप की जरूरत है।

अत: मैं सरकार से सदन में उपरोक्त विषय पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-राधाचरण साह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-102/2018 - 570 /वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ भवन निमार्ण विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 19.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 12.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा अनुमंडल अन्तर्गत वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना परिक्षेत्र से घिरे N.H-28 B रामपुर चेक पोस्ट से मदनपुर मोड़ होते हुए छितौनी रेलपुल-सह-सड़क पुल तक जाने वाली पथ कई दशक से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो चूका है। यह पथ बिहार एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। यह पथ कालान्तर में रख-रखाव और निर्माण के अभाव में छितौनी से लेकर मदनपुर मोड तक गड्ढे में तब्दील हो चुका है और बरसात में कीचड़ होने के कारण चलना भी मुश्किल है। आये दिन गाड़ी एवं माल वाहन तथा आम जनता की गाड़ियों का दुर्घटना होना आम बात है। सरकार या प्रशासन इस महत्वपूर्ण मार्ग को बनाने के बजाय वाल्मिकीनगर टाइगर प्रोजेक्ट होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं।

अत: N.H.-28 B मार्ग का निर्माण कराकर आम जनता की कठिनाईयों से निजात दिलाने हेतु सरकार से सदन में एक ठोस वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- वीरेन्द्र नारायण यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-101/2018 – 569 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-19.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 12.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

मनरेगा का कार्य ग्राम पंचायत के अलावा पूर्व में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति से भी कराया जाता था। परन्तु बीच में इन दोनों इकाईयों से कार्य कराना रोक दिया गया। सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर की समीक्षा बैठक में कहा गया कि जिला परिषद् और पंचायत समिति द्वारा अविलम्ब इस कार्य को कराया जायेगा।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के पत्रांक – 318555, दिनांक – 22.07.2017 के प्रसंग में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक – 119/अभि.मुज. दिनांक – 10.01.2018 के द्वारा मनरेगा का कार्य जिला परिषद् से कराने हेतु MIS पर निबंधित करने का अनुरोध करते हुए तीन बिन्दुओं यथा (1) जिला परिषद् से कार्यान्वित करायी जाने वाली योजनाओं के लिए अभिकर्ता एवं मस्टर चक्र के अनुपालन के संबंध में दायित्व का निर्धारण करने (2) जिला परिषद् से कार्य कराये जाने की स्थिति में मजदूरों द्वारा कार्य की मांग एवं उपावंटन की प्रक्रिया क्या होगी तथा (3) जिला परिषद् से कार्यान्वित योजनाओं का भुगतान की अनुश्रवण समिति से अनुमोदन की प्रक्रिया क्या होगी, इस संबंध में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार से मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है। परन्तु विभागीय सचिव द्वारा अबतक मार्गदर्शन अप्राप्त है।

अतः मै सरकार से मनरेगा का कार्य जिला परिषद् एवं पंचायत समिति से कराने हेतु MIS पर निबंधित करने तथा अन्य प्रक्रिया से संबंधित स्पष्ट मार्गदर्शन देने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-दिनेश प्रसाद सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-100/2018 – 568 / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 19.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 12.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

2 अक्टूकर 2014 से पूर्व मधुबनी जिला के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा तथा लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण के तहत मुखिया की सहमती पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लोगों ने अपने- अपने घरों में शौचालय का निर्माण किया था। सरकार की योजना को क्रियान्वयन हेतु गरीब लोग कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण इस आस में किए थे कि शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि उनको मिल जाएगी और अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे।

विगत दो वर्षों से ये लोग शौचालय निर्माण की राशि हेतु प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा-लगा कर थक चुके हैं।

विदित हो की बहुत से वैसे भी परिवार के लोग हैं जो ब्याज पर पैसा लेकर शौचालय का निर्माण कराया था और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण इनके कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप शौचालय से वंचित परिवार भी शौचालय न बना कर खुले में शौच करने के लिए मजबूर है।

अत: मैं सरकार से सदन में मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण के उपरान्त लोगों को मिलने वाली निर्माण की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सुमन कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-99/2018 – 567 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-19.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 12.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य की एक बड़ी आबादी पान की खेती कर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। यही उनकी जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। परन्तु प्रत्येक वर्ष अतिवृष्टि एवं ठंड के प्रकोप के चलते पान की खेती करने वाले किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं राज्य में पान की खेती करने वाले किसानों को अतिवृष्टि एवं ठंड के प्रकोप से होनेवाले नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- अर्जुन सहनी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-98/2018 – 565 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कृषि विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-19.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 12·03·2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्